13.4.23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
की जा कर प्रार्थना-पत्र में जारी की अस्थाई
निषेधाज्ञा को मुख्य वाद के निर्णय तक जारी
रखने का निवेदन किया। अतः आदेशिका दिनांक
20.12.2022 के क्रम में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.10 11:49:21 IST
Reason: SelfAttested

को मुलतवी के निर्णय तक जारी रखे जाने के आदेश दिये जा कर पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.10 11:49:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 195/2022

उनवान

1. श्री गणेशलाल पिता स्व. थाना रेबारी जाति रेबारी निवासी खेड़ा पटवार हल्का खेडा तहसील गढी जिला बासंवाडा।

बनाम

1. श्री गोतमलाल पिता स्व. थाना रेबारी निवासी खेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. श्रीमती सोनी बेवा स्व. थाना जाति रेबारी निवासी खेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3. श्रीमान् तहसीलदार साहब गढी जिला बांसवाडा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांकः 20.12.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी का वाद ठोस आधारो पर आधारित होकर प्रार्थी के हक में डिक्री होने की पूर्णतया सम्भावना है।, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 संयुक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि ग्राम खेड़ा व मडकोला पटवार हल्का खेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित होकर खाता संख्या 124 (नया), 105 (पुराना) के सर्वे नम्बर 116/1 रकबा 0.04 एयर, सर्वे नम्बर 527/93 रकबा 0.03 एयर, एवं सर्वे नम्बर 73/1 रकबा 0.06 एयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.13 एयर एवं खाता संख्या 44 (नया), 0 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1039/2 रकबा 0. 10 एयर वाके ग्राम खेडा पटवार हल्का खेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। उक्त खाते की भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की पैतृक भूमि है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 संयुक्त से काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की उक्त खेतों पर काश्त फसल मौजुद है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के बीच उक्त खेतों के फसलों के बंटवारों को व लगान आदि को लेकर हमेशा झगडा व बोलचाल होती रहती है एवं वादी अपने हिस्सों के खेतों का लोन आदि लेकर विकास करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी के अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को उक्त परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नियमानुसार उक्त खाते की भूमि में अपने हिस्से का बंटवारा के लिए तैयार नहीं होने से वादी को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध धारा यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह प्रार्थना–पत्र पेश है। उक्त भूमि में प्रार्थी की पैतृक भूमि है और नियमानुसार [illegible] में वादी का 1/3 भाग का हिस्सा है। इसलिए वादी उक्त खेत की [illegible] का अलग बंटवारा कर उसके नाम खाता दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश है। प्रार्थी का वाद हेतु आज से एक माह पूर्व व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के बीच फसल [illegible] बंटवारे व लगान आदि की बात को लेकर विवाद होने से और वादी अपने हिस्से की भूमि का विकास व सुधार करने से

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.10 11:49:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को नियमानुसार उक्त खाते की भूमि में बंटवारा करने का कहने से अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 द्वारा इनकार करने पर वादी का वाद हेतु आज से एक माह पूर्व उत्पन्न हुआ है एवं यह प्रार्थना–पत्र अन्दर म्याद पेश है।, बंटवारे के दावे की तारीख 11/1/2023 को पेशी नियत है एवं तीनों अप्रार्थीगण को नोटीस तामिल हो चुके है व प्रकरण अत्यधित आवश्यक प्रकृति का होने से प्रकरण में अन्तिम आदेश हेतु आज सुनवाई करना आवश्यक है। प्रकरण में आज सुनवाई नहीं की गई तो अप्रार्थी संख्या 01 उक्त खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0.06 एयर पर अवैद्य निर्माण कार्य करने की चेष्टा कर रहा है तथा इसने वहा नींव खोदकर अवैद्य निर्माण कर रहा है उसे उक्त कार्य करने हेतु रोका जाना आवश्यक है, नहीं तो प्रार्थी द्वारा उक्त वाद पत्र आप न्यायालय में लगाने का औचित्य ही नहीं रहेगा। इसलिए उसके विरूद्ध कानुनी कार्यवाही हेतु आज सुनवाई करने हेतु यह प्रार्थना–पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न की डिक्री दिये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत पेश हुआ।

चूकि वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है तथा प्रकरण विचाराधीन है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सर्वे नम्बर 73/1 पर बिना बंटवारे हुयी भूमि पर अवैद्य निर्माण किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 के इस कृत्य से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है।, प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के हक में जाता प्रतीत होता है।

अतः आगामी पेशी दिनांक 11/1/2023 तक उभय पक्षकारान् पटवार हल्का खेड के मौजा खेडा की खाता संख्या 124 (नया), 105 (पुराना) के सर्वे नम्बर 73/1 रकबा 0.06 हें0 भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा शांति और व्यवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना करना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 20.12.2022 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.10 11:49:21 IST
Reason: SelfAttested